PT. I. S. 4. No 20-11

रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY ... GOVT OF INDIA

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 5, 1980 (चैत्र 16, 1902)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 5, 1980 (CHAITRA 16, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

13/7

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	309
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	427
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	409
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	735
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	959
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	157
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	3695
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	179
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	29
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1227
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	55

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	309
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	427
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	409
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	735
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	959
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	157
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3695
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	179
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	29
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1227
PART IV.—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	55

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रीय सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1980

सं० 33-प्रेज/80—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कुमार धर्म वीर,
पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह,
ग्राम जलोला,
डाकखाना झिनझौली,
तहसील व जिला सोनीपत,
हरियाणा।

28 अगस्त, 1978 को गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, सईदपुर (सोनीपत) के कुछ छात्र स्कूल के अहाते में स्थित कुएं पर पानी पीने के लिए इकट्ठे हुए। एक 6 वर्षीय छात्र पानी की बाल्टी पकड़ने की कोशिश करते समय पैर फिसल जाने के कारण कुएं मे गिर पड़ा। यह देख कर कुमार धर्मवीर ने, जो कि कुएं पर मौजूद था, फौरन कुएं में छलांग लगाई। उसने एक हाथ से उस छात्र को पकड़ लिया और दूसरे से पानी की बाल्टी के साथ बंधी रस्सी को पकड लिया, लेकिन रस्सी दोनों के भार को सहन नही कर सकी और टूट गई। उसके बाद कुमार धर्मवीर तब तक कुएं मे तैरते रहे जब तक कि उन्हे कुएं की दीवार में एक सुराख नजर नहीं आ गया। उन्होंने एक हाथ से छात्र को पकडे रखा और दूसरे हाथ की उंगलियों से उस सुराख को कस के पकड़ लिया और ऊपर खड़े लड़कों से दूसरी रस्सी फेंकने के लिए शोर मचाया, जिसकी सहायता से उन दोनों को कुएं से बाहर खींच लिया गया।

इस प्रकार, कुमार धर्मवीर ने अपनी जान को बहुत बडे खतरे मे डाल कर लड़के को डूबने से बचाने मे असाधारण साहस, दृढ़-निश्चय तथा तत्परता का परिचय दिया।

2. श्री बाल सुन्दर राजू, (मरणोपरान्त)
द्वार सं० 4,
स्थल सं० 529,
4, मेन रोड,
18वां क्रास,
विद्यारन्यापुरम्,
मैसूर,
कर्नाटक।

8 मार्च, 1977 को प्रातः काल सूचना दिये जाने पर कि अशोक होटल, बंगलौर मे बिजली चली गई है, के० ई० बी०, बंगलौर के स्टेशन 'ए' के कर्मचारी तथा होटल के मेनटेनेंस स्टाफ सहित 16 लोग जांच पड़ताल करने के लिए स्विचगियर रूम मे गये। यह तसल्ली कर लेने के बाद कि फ्यूज ठीक-ठाक है, के० ई० बी० सुपरवाइजर ने स्विच को बंद किया तो एक भारी धमाका हुआ जिससे स्विच के आयल टैनर को क्षति पहुंची और इसके परिणामस्वरूप स्विचगियर रूम मे मौजूद सभी व्यक्तियों पर जलते हुए तेल की बूंदें पड़ी और उनके कपड़ों को आग लग गई। कमरे में [illegible] खिड़कियां बंद थी। कमरे से बाहर निकलने के लिए छोटा सा दरवाजा रह गया था जो कि पास वाले कमरे से जुड़ा हुआ था। कमरे के अन्दर के व्यक्तियों के जलने से गंभीर घाव हो गए। यद्यपि श्री बाल सुन्दर राजू के वस्त्रों में आग लग गई थी फिर भी उन्होंने स्विच गियर रूम मे फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश जारी रखी और उनमें से पांच व्यक्तियों को निकाल लिया। अस्पताल ले जाये जाने के लिए सहमत होने से पहले उन्होंने अन्य घिरे हुए व्यक्तियों को निकालने में सहायता की और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दिये जाने पर जोर दिया। अस्पताल ले जाने पर घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना मे घिरे हुए 16 व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

इस प्रकार श्री बाल सुन्दर राजू ने अपनी जान पर खेल कर दुर्घटना से ग्रसित व्यक्तियों में से पांच को निकालने मे अनुकरणीय साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

3. 4159474 लांस नायक सूरज भान, (मरणोपरान्त)
ग्राम व डाकखाना ओरावर,
जिला मैनपुरी,
उत्तर प्रदेश।

11 सितम्बर, 1978 को जब यमुना नदी मे बाढ़ आई हुई थी, और लांस नायक सूरज भान जो वार्षिक छुट्टी पर अपने गांव, जो नदी के किनारे बसा हुआ था, आये हुए थे। उन्होंने गांव के तीन बच्चों को डूबने से बचाया। बाद में दिन में उन्होंने किसी को तूफानी नदी में जीवन के लिए संघर्ष करते हुए देखा। तेज बहाव के बावजूद वे फौरन पानी में कूद पड़े और डूबने वाले व्यक्ति तक तैर कर गये। डूबने वाला व्यक्ति लांस नायक सूरज भान से लिपट गया जिसके कारण उसे बचाना मुश्किल हो गया और जल्दी ही, वे दोनों तेज धारा मे बह गए।

इस प्रकार लांस नायक सूरज भान ने अपनी जान पर खेलकर एक व्यक्ति को बचाने के प्रयास में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया।

सं० 34—प्रेज/80—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "उत्तम जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री कुमारसामी कालियामूर्ति,
108, वेस्ट बाउलवार्ड बैंक साइड,
एस० एस० जोती निलायम,
कुमार गुरुपल्लम,
पांडिचेरी।

2 अक्टूबर, 1978 को अनेक व्यक्ति गांधी जयन्ती समारोह में भाग लेने के बाद बीच रोड, समुद्र तट पर स्नान के लिए चले गए। कुछ लड़कों ने तट से कुछ दूर एक व्यक्ति को समुद्र में डूबते देखा। देखने वालों ने शोर मचाया। उनमे से दो सर्वश्री कुमारसामी, कालियामूर्ति और एस० शीलारायण ने डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के प्रयास में उग्र समुद्र में कूदने का साहस किया। कठिन परिस्थितियों से भयभीत हुए बिना, श्री कालियामूर्ति काफी संघर्ष के बाद डूबते हुए व्यक्ति को किनारे पर लाने में सफल हुए और वहीं उसका प्रथमोपचार किया गया। उसी समय यह देखा गया कि श्री शीलारायण भी, जो उक्त व्यक्ति को बचाने के प्रयास में समुद्र में कूद पड़े थे, लौटकर नहीं आये बल्कि स्वयं भी डूबने लगे। श्री कालिया-

मूर्ति, जो पहले ही बहुत थक चुके थे, एक बार फिर उग्र समुद्र में कूद पड़े और शीलारायण को भी तट पर ले आए। थकान की परवाह न करते हुए उन्होंने नजदीक के सीमाशुल्क कार्यालय में फोन पर जनरल अस्पताल से संपर्क किया और बेहोश पड़े शीलारायण को आवश्यक डाक्टरी सहायता उपलब्ध करायी। श्री शीलारायण को अगले दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी।

श्री कुमारसामी कालियामूर्ति ने, अपने जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में डालते हुए, डूबते हुए दो व्यक्तियों की जान बचाने में असाधारण साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

2 श्री गोपाल पिल्लै शशिकुमार, (मरणोपरान्त)
परमेश्वर विलासम्,
ए० पी० 5/107,
अट्टिनकुज्जी,
अट्ठीपरा गांव,
त्रिवेंद्रम जिला,
केरल।

Div...
Acc...
Date of
Coll No
Processed Checked
Date of Transfer

नवम्बर, 1978 के पहले सप्ताह में केरल के अधिकांश जिले असाधारण बाढ़ से प्रभावित थे। त्रिवेन्द्रम में अट्टीपारा गांव बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित था। 4 नवम्बर, 1978 को उक्त गांव का एक निवासी श्री गोपाल पिल्लै शशिकुमार, बाढ़ के पानी में, तैरकर बाढ़ से प्रभावित मकानों तक गये और अपने पड़ोसियों की सहायता से उनके परिवारों तथा सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यह काम करते हुए, उन्होंने पचमूलिल मणियन नामक एक व्यक्ति को बाढ़ की तेज धारा में जीवन से संघर्ष करते हुए देखा। श्री शशि कुमार पुन: तैरकर श्री मणियन को सुरक्षित बाहर लाने में सफल हुए परन्तु वह खुद एक तेज धारा के कारण बह गये और एक खम्बे तथा उसकी तारों के बीच फंस गये और डूब गये।

श्री गोपाल पिल्लै शशि कुमार ने अपनी जान पर खेल कर एक व्यक्ति का जीवन बचाने अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

3 श्री ओम प्रकाश भाटी,
मोहल्ला शाहपुर मलिया,
हाथरोही के सामने,
ब्यावर,
राजस्थान।

5 अगस्त, 1978 को सर्वश्री हेमन्त कुमार और ओम प्रकाश भाटी एक पिकनिक पर गए थे और मकरेड़ा तालाब में नहा रहे थे। पानी की गहराई से बेखबर होकर श्री हेमन्त कुमार गहरे पानी में उतर गये और डूबने लगे। यह देखकर श्री ओम प्रकाश भाटी उन्हें बचाने के लिए उसकी ओर लपके परन्तु श्री हेमन्त कुमार ने उन्हें जोर से कसकर पकड़ लिया। परिणामस्वरूप दोनों पानी में डूबने लगे क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। कुछ व्यक्तियों ने, जिन्होंने इस घटना को देखा, उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल ले गये। परन्तु, प्रथमोपचार का कोई लाभ नहीं हुआ और अस्पताल अधिकारियों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया।

श्री ओम प्रकाश भाटी ने, अपनी जान पर खेलकर अपने मित्र की जान डूबने से बचाने की कोशिश में, साहस और तत्परता का परिचय दिया।

4 श्री लक्ष्या, (मरणोपरान्त)
गांव पुक्षिला
जिला सलारी,
नेपाल—3।

24 फरवरी, 1979 को एक मजदूर श्री लक्ष्या पुत्र श्री लामाजोर को 9 अन्य मजदूरों के साथ चुगधाम में तीस्ता नदी के तल में रेत इकट्ठा करने के काम पर लगाया गया था। यह रेत तट के उस ओर से इकट्ठी करके तट के इस ओर लायी जा रही थी। मजदूर नदी के दोनों तटों को जोड़ने वाले कम ऊंचाई वाले एक पैदल पुल का उपयोग कर रहे थे। श्रीमति लामू नामक एक मजदूरनी पुल पार करते समय फिसल कर नदी में जा गिरी और नदी की तेज धारा में बहने लगी। श्री लक्ष्या फौरन नदी में कूद पड़े और अपने साथी कार्यकर्ता को बचाने के प्रयास में वे भी नदी की तेज धारा में बह गए। हालांकि श्रीमति लामू की लाश का पता नहीं चल सका परन्तु श्री लक्ष्या की लाश धारा के साथ बहते हुए पायी गयी।

श्री लक्ष्या ने अपनी जान पर खेलकर डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाने के प्रयास में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

सं० 36-प्रेज/80--राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं:--

1 श्री भंवर लाल सैनी,
मार्फत श्री गोपीलाल शर्मा,
बारबारा पाड़ा,
कैथूनीपोल,
कोटा,
राजस्थान।

19 जून, 1978 को एक 12 वर्षीय लड़की दाढ़ाबाड़ी स्थित अपने निवास स्थान से अपने पिता की दुकान को जा रही थी। रास्ते में वह किशोरपुरा नहर की पुल की दीवार पर बैठ गई। जब वह पानी को देख रही थी तो अचानक नहर में गिर पड़ी। श्री भंवर लाल सैनी, जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, फौरन नदी में कूद पड़े, लड़की तक तैरते हुए गए और बड़ी मुश्किल से उसे नहर की सीमेंट की दीवार के निकट ले आये। वह इसके पास-पास तब तक तैरते रहे जब तक कि उस टूटी हुई दीवार का एक हिस्सा उनकी पकड़ में नहीं आ गया और उन्होंने मदद के लिए शोर मचाया जिसे सुनकर कुछ लोग किनारे पर आये और रस्सी नीचे फैंकी जिसकी सहायता से वे दोनों बाहर निकाल लिये गये।

श्री भंवर लाल सैनी ने अपनी जान के लिए भारी खतरे की परवाह न करते हुए लड़की की जान बचाने में अदम्य साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

2 श्री सजीव सिंह चौधरी,
मार्फत श्री भंवर सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोध विभाग,
अजमेर,
राजस्थान।

18 जुलाई 1975 को अजमेर शहर में उर्स मेले के अवसर पर लाखों यात्री पड़ाव डाले हुए थे और भारी वर्षा के कारण स्थिति अस्त व्यस्त हो गई थी। उस दिन लगभग 10 बजे सुबह श्री संजीव चौधरी ने, जो अपने घर में पढ़ाई कर रहे थे बाहर चीख-पुकार सुनी। अपने घर से बाहर आकर उन्होंने देखा कि वहां पर परिवार के मकानों में बाढ़ का पानी भर रहा था। थोड़े ही समय में पानी का स्तर 1.75 से लेकर 2.50 मीटर तक पहुंच गया और उस इलाके से बाहर निकलने का समय नहीं था। बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पिता सरकारी ड्यूटी पर बाहर थे और उनकी माताएं इतनी घबरा गईं कि वे मदद के लिए भी चिल्ला तक न सकीं। श्री सजीव सिंह चौधरी तेज पानी की धारा में कूद पड़े, तैरते हुए एक मकान से दूसरे मकान तक पहुंचे और तीन परिवारों की तीन महिलाएं और नौ बच्चों को बचा लिया।

श्री संजीव सिंह चौधरी ने अपनी जान के ख ... वाह न करते हुए 12 व्यक्तियों को डूबने से बचाने में साहस न ... का परिचय दिया ।

3. श्री बेन्नी मैथ्यू,
मार्फत श्री जोसेफ मैथ्यू,
पैरायोइपुरमपोक्किल,
किजाप्रायर,
भरनांगनम,
भलाई,
कोट्टायम जिला,
केरल ।

18 दिसम्बर, 1978 को दिन में लगभग दो बजे दो महिलाएं श्रीमति राजम्मा और श्रीमति भार्गवी पुरषोत्तम नायर स्नान करने के लिए मीनाचिल नदी पर गयी थीं । पानी में डुबकी लगाते समय श्रीमती राजम्मा फिसलकर पानी में जा गिरी । दूसरी औरत ने उसको बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया परन्तु वह भी गिर पड़ी और दोनों डूबने लगीं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था । यह देखकर श्रीमति भार्गवी की पुत्री सुलोचना मदद के लिए चिल्लाई । श्री बैनी मैथ्यू ने, जो उसी नदी में कुछ दूरी पर स्नान कर रहे थे, उनकी चीख-पुकार सुनी और वे तत्काल उस स्थान को दौड़े । वे गहरे पानी में कूदे और उन्होंने एक-एक करके दोनों महिलाओं को बचा लिया ।

श्री बैनी मैथ्यू ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए दो महिलाओं को डूबने से बचाने में असाधारण साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

4. श्री जेम्स जोसफ,
इरुपाकेट्टु हाउस,
कोराट्टी,
डाकखाना कुरुथमुज्हो,
जिला कोट्टायम
केरल ।

26 जून, 1978 को मतिगोपालन लक्ष्मी जब मणिमाला नदी की तेज धारा में बहते हुए कपड़े को निकालने का प्रयत्न कर रही थीं तो नदी में आई हुई बाढ़ उन्हें बहा ले गई । श्री जेम्स जोसफ, जिन्होंने यह घटना देखी, नदी में कूद गए और उसे बचा लिया ।

श्री जेम्स जोसफ ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए श्रीमति लक्ष्मी की जान बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया ।

5. श्री चन्द्रशेखर,
शिक्षक,
गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
मकान नं 3-4-67,
गवर्नमेंट मिडिल प्राईमरी स्कूल के पास,
यादगिरि,
जिला गलबर्ग,
कर्नाटक ।

6. श्री जयवन्त,
मार्फत श्रीमति सरोज,
स्टाफ नर्स,
नर्सों के क्वार्टर,
सिविल अस्पताल के नजदीक,
गलबर्ग,
कर्नाटक ।

7 जनवरी 1979 को यादगिरि के टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एक शिक्षक प्रशिक्षार्थी श्री नागभूषण, अन्य प्रशिक्षार्थियों के साथ, यादगिरि से से लगभग 12 किमी० की दूरी पर हट्टीकुनी बांध कर घूमने के लिए गए जिसका आयोजन उक्त ट्रेनिंग इस्टीट्यूट ने किया था । श्री नागभूषण सहित शिक्षक प्रशिक्षार्थी जलाशय में तैरने के लिए गए । दुर्भाग्यवश श्री नाग भूषण मछुओं द्वारा जलाशय में बिछाए हुए नाइलोन के जाल में फंस गए और उन्होंने अपने को निस्सहाय पाया तथा वे मदद के लिए चिल्लाये । सर्वश्री चन्द्रशेखर और जयवन्त ने, जो उस ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में शिक्षक हैं, चिल्लाने की आवाजें सुनीं और वे तत्काल जलाशय में कूद पड़े और नागभूषण को बेहोशी की हालत में बाहर निकाल लाये । उन्होंने उसका प्रथम-उपचार किया और उसके बाद वे उसे अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें कुछ दिनों के बाद छुट्टी मिली ।

सर्वश्री चन्द्रशेखर और जयवन्त ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए श्री नागभूषण को डूबने से बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

7. श्री इरावकुलंगारा कृष्णनकुट्टी,
पुत्र जानकी अम्मा,
इरावकुलंगारा,
कुम्बलंगदे,
डाकखाना कंजिरकोड़े,
वाया वडाक्कंचेरी,
तालापिल्ली तालुक,
जिला त्रिचुर,
केरल ।

31 मार्च, 1979 को तालापिल्ली ग्राम में एक 8 वर्षीय लड़का अपने मकान के अहाते के एक गहरे और तंग कुएं में गिर पड़ा । बच्चे की मां श्रीमति सुमती ने हल्ला मचाया और पड़ोस के लोग कुएं के चारों ओर जमा हो गए । जबकि सब लोग निस्साय होकर देख रहे थे, तो श्री इरावकुलंगारा कृष्णनकुट्टी कुएं में कूद पड़े और उन्होंने उस डूबते हुए बच्चे को बचाया ।

श्री इरावकु लंगाराकृष्णनकुट्टी ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए बच्चे को डूबने से बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

8. श्रीमति इरिंगपुल्ली कुंजय्यप्पन वल्लीकुटी,
पुत्री श्री इरिंगपुल्ली कुंजय्यप्पन,
परियाराम गांव,
मुकुंदपुरम तालुक,
त्रिचूर जिला,
केरल ।

13 मार्च, 1979 को एक 3 वर्षीय लड़की जो कि एक अन्य लड़की के साथ खेल रही थी दुर्भाग्यवश पने अपने घर के अहाते के कुएं में जा गिरी । उसके साथ खेल रही बच्ची की चीख पुकार सुनकर श्रीमति इरिंगपुल्ली कुंजय्यप्पन वल्लीकुटी जो पास ही एक खेत में काम कर रही थी, वहां दौड़ी आयी । बच्ची को जीवन के लिए संघर्ष करते देखकर वह कुएं में कूद पड़ी और और उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया और कुएं की एक कड़ी को तब तक पकड़ी रही जब तक कि अन्य लोग वहां न पहुंच गए और उन्होंने रस्से की सहायता से उन्हें बाहर न निकाल लिया । बच्चे को कोई चोट नहीं आयी थी परन्तु श्रीमति वल्लीकुट्टी को मामूली चोटें आयीं ।

श्रीमति इंदिरापुल्ली कुंजम्मयम्मा नय्यायल वल्लीकुट्टी ने अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए बच्चे को डूबने से बचाने में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

9. मास्टर कट्टूराजन,
पलियाकुडिलिल,
डाकखाना पैनवू,
इडुक्की जिला,
केरल ।

27 मार्च, 1978 को लक्ष्मी, चन्द्रन, पवनम्मा और मुथाम्मल नामक चार बच्चे लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए इडुक्की बांध के नजदीक वाले जंगल में गए । लक्ष्मी, पवनम्मा और मुथाम्मल तैरती हुयी एक लकड़ी की नौका को पकड़ने के लिए पानी में चले गए । वे अच्छे तैराक नहीं थे, इसलिए वे मुसीबत में फंस गए और जीवन के लिए संघर्ष करने लगे । यह देखकर चन्द्रन, जो तट पर खड़ा था, जोर से चिल्लाया । 13 वर्षीय मास्टर कट्टूराजन, जो पास के जंगल में लकड़ी इकट्ठी कर रहा था, इस चीख को सुनकर वहां दौड़ा आया । वह फौरन पानी में कूद पड़ा और 14 वर्षीय पवनम्मा और 12 वर्षीय मुथाम्मल को बचाने में सफल हुए । तीसरी बच्ची, लक्ष्मी को नहीं बचाया जा सका और वह डूब गयी ।

मास्टर कट्टूराजन ने अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए दो बच्चों को डूबने से बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

10. श्री कुन्हीरामन नायर शंकर पिल्लै,
अधीक्षक,
स्टेट वेयर हाउस,
मन्जेरी ।
केरल ।

3 अगस्त, 1978 को श्री कुन्हीरामन नायर शंकर पिल्लै कुछ धार्मिक संस्कार करने के लिए थिरुनवय गए थे । कर्मकांड करने के बाद वे मंदिर को जाने ही वाले थे कि उन्होंने भरतपुझा नदी के पास से कुछ चीख-पुकार सुनी । वे उस स्थान की ओर दौड़े और वहां उन्होंने दो लड़कियों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना । वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और धीरे-धीरे नदी में डूब रही थी श्री पिल्लै नदी में कूद पड़े और दोनों लड़कियों को पकड़कर बेहोशी की हालत में उन्हें नदी के किनारे वापस ले आये । श्री पिल्लै ने फिर किसी और को भी नदी में बहते हुए देखा । यद्यपि वे पूरी तरह थके हुए थे, फिर भी दुबारा नदी में कूद पड़े और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसको नदी के किनारे पर वापस लाये । उसके बाद उन्होंने तत्काल उस लड़की का प्रथम उपचार किया । इसी बीच अन्य दो लड़कियों ने, जो होश में आ गई थीं । श्री पिल्लै को सूचित किया कि नदी में एक चौथी लड़की भी है । उन्हें नदी में कुछ काली चीज दिखाई दी और यह सोचकर कि वह चौथी लड़की का शरीर है, वे थके हुए होते हुए भी पानी में कूद पड़े परन्तु उन्होंने पाया कि वह केवल एक सूखा पत्ता था । वे नदी के किनारे वापस आये और उस घाट तक पहुंचे जहां एक गाड़ी में रेत भरा जा रहा था । वे उन मजदूरों की मदद से बेहोश लड़की को एक टैक्सी में नजदीक के अस्पताल में ले गए परन्तु दुर्भाग्यवश लड़की की मृत्यु हो गई ।

श्री कुन्हीरामन नायर शंकर पिल्लै ने अपनी जान को बार-बार खतरे में डालकर दो लड़कियों की जानें बचाने में अद्वितीय साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

11. श्री सारदा अम्मा राविन्द्रन नायर,
मकान सं० आ० पी० 1/133,
एक लाख आवास कालोनी,
मंजनीकारा,
डाकखाना ओमल्लूर,
(वाया) टानमथिट्टा,
क्वीलोन जिला,
केरल ।

6 नवम्बर, [redacted]8 को ओमल्लूर कुरीसुमुद के पास ओमल्लूर इला से बाढ़ग्रस्त सड़क [redacted] पार करने के प्रयास में चार व्यक्ति तेज धारा में फंस गए और बाढ़ [redacted] पानी में बह गए । धारा बहुत तेज थी, इसलिए, भीड़ में से किसी [redacted] व्यक्ति को, जिसने इस घटना को देखा, उन्हें बचाने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं हुई । उस समय श्री सारदा अम्मा राविन्द्रन नायर नदी में कूद पड़े और तेज धारा के विपरीत तैर कर गए और दो व्यक्तियों को पकड़ कर तट पर ले आए । वे फिर पानी में कूदे और तीसरे व्यक्ति को भी डूबने से बचा लिया । तब तक श्री नायर थक चुके थे और चौथे व्यक्ति का नहीं बचाया जा सका ।

श्री सारदा अम्मा राविन्द्रन नायर ने बार-बार अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए तीन व्यक्तियों की जान बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

12. श्री सूर्यकंडी राजन,
पोतीसो हाउस,
पुथियंगडी,
डाकखाना वेस्ट हिल,
इलातुर गांव,
कोझीकोड जिला,
केरल ।

9 अक्टूबर, 1978 को कुमारी राजी, 18 वर्षीय, इलातुर गांव के पुतुर देवम में 'नेकोली कुलम' तालाब में स्नान करते समय अचानक पानी में जा गिरी । लड़की को जीवन के लिए संघर्ष करते देखकर श्री सूर्यकंडी राजन, 13 वर्षीय, पानी में कूद पड़ा और बेहोशी की हालत में लड़की को तट पर ले आया । बाद में उसे होश आ गई ।

श्री सूर्यकुंडी राजन अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए लड़की को डूबने से बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

13. श्री सीताराम विट्ठल सावंत,
बिल्डिंग सं० 79,
कमरा सं० 2707,
नेहरु नगर,
कुरला,
बम्बई,
महाराष्ट्र ।

18 मार्च, 1977 को एक फेरी नौका जो लगभग 45 व्यक्तियों को लेकर मेढ जेटी प्वाइंट से वरसोवा जेटी प्वाइंट की ओर बढ़ रही थी । जब नौका वरसोवा जेटी या तट से लगभग 6 मीटर की दूरी पर थी तब नौका-चालक के पास ही खड़ी मच्छियारों की नौकाओं से टकराने से बचने के लिए एक तीखा मोड़ काटा । परिणामस्वरूप 13 यात्री समुद्र में जा गिरे । श्री सीताराम विट्ठल सावंत ने, जो नौका के इंजिन के पास खड़े थे, देखा कि उनके कार्यालय के बहुत से सहयोगी डूब रहे हैं । वह उन्हें बचाने के लिए फौरन पानी में कूद पड़े । वह एक-एक करके दस व्यक्तियों को नौका के पास लाने में सफल हुए जहां से अन्य यात्रियों ने उन्हें खींचकर नौका में बैठा लिया । शेष तीन व्यक्ति फेरी नौका को पकड़कर उसमें बैठ गए ।

श्री सीताराम विट्ठल सावंत ने 10 व्यक्तियों को डूबने से बचाने में उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता, सूझबूझ और अदम्य साहस का परिचय दिया ।

14. श्री प्रदीप कुमार मेहता
सैक्टर 8,
क्वार्टर सं० 135
आर० के० पुरम,
नई दिल्ली ।

11 अगस्त, 1978 को मौसम की सबसे अधिक वर्षा हो रही थी और उसी दिन 1-1/2 वर्षीय अंजली नामक एक बच्ची आर० के० पुरम सेक्टर 8 के नाले को, जिसमें बाढ़ आई हुई थी, पार कर रही थी तो पानी की तेज धारा उसे सेक्टर 9 की तरफ बहा ले गई, जिसे देख इर्द-गिर्द की स्त्रियां और बच्चे चिल्लाये । चिल्लाहट को सुनकर, श्री प्रदीप कुमार मेहता उस बच्ची को बचाने के लिए नाले की तरफ दौड़े, जिसे जल लहर पहले पुल तक ले जा चुकी थी । वह दिल्ली पुलिस रिकार्ड कार्यालय के नजदीक दूसरे पुल की तरफ बढ़े और वहां पर लड़की के बह कर आने की इन्तजार करने लगे तथा कुछ ही सैकिण्डों में बच्ची के वहां पहुंचने पर पानी मे कूद पड़े । बच्ची जलप्रवाह में लगभग 150 मीटर बह गई थी और करीब-करीब डूब गई थी । केवल पानी में उसके बाल ही तैरते दिखाई दिए । श्री मेहता ने बच्ची को बालों से पकड़ लिया और उसे नाले से बाहर ले आये ।

श्री प्रदीप कुमार मेहता ने अपनी जान की परवाह न करते हुए, बच्ची को डूबने से बचाने में अदम्य साहस, पहल शक्ति और तत्परता का परिचय दिया ।

15. श्री अलमपामम वेंकटेश्वर विश्वनाथन,
140 ईस्ट,
क्लास-9,
वैस्ट लैंड,
खामारिया,
जबलपुर,
मध्य प्रदेश ।

16. श्री चन्द्रदेव सिंह,
ग्राम तथा डाकखाना सुलतानपुर,
(वाया) मनिहारी,
जिला बलिया,
उत्तर प्रदेश ।

आर्डिनेंस फैक्टरी, खामारिया की फिलिंग यूनिट 9 की बिल्डिंग सं० 129 में 6 जुलाई, 1976 को एक विस्फोट हुआ । विस्फोट के कुछ ही मिनटों में पूरा भवन ढेर हो गया और व्यक्ति मलबे में दब गए । भरे पत्र इधर-उधर बिखरे पड़े थे और छुट पुट विस्फोट सभी स्थानो पर रहे थे । श्री अलमपामम वेंकटेश्वर विश्वनाथन, जो पड़ौस में ही थे, से पहले व्यक्ति थे जो फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए, चिल्लाते !, तबाही वाले क्षेत्र में पहुंचे । बचाव कार्यों मे उन्होने अन्यों का मार्ग न किया । श्री चन्द्रदेव सिंह ने भवन के अन्दर जाने की तीन बार कोशिश परन्तु अन्य लोगो ने उन्हे रोका क्योंकि अभी भी वहां छुटपुट विस्फोट रहे थे । परन्तु वह अपने आपको रोक नहीं सके और करीब-करीब न स्थान तक पहुंच गये जहां श्री बलेचा सुपरवाइजर मलबे में दबे पड़े थे । होंने श्री विश्वनाथन के साथ मिलकर, विस्फोट के मलबे से श्री बलेचा र अन्यों को निकालने में सहायता की । श्री चन्द्रदेव सिंह ने दबे हुए व्यक्तियों के ऊपर गिरे हुए दीवार और छत के टूटे हुए मलबे को हटाना कर दिया । इनके इस कार्य को देखकर अन्य लोग भी बचाव कार्य जुट गये ।

सर्वश्री अलमपामम वेंकटेश्वर विश्वनाथन और चन्द्रदेव सिंह ने अपनी के खतरे की परवाह न करते हुए, मलबे में दबे हुए व्यक्तियों को ...में साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

17. श्री सुरेंद्र कुमार,
पुत्र श्री पन्ना लाल,
ग्राम तथा डाकखाना कुनाडी,
कोटा,
राजस्थान ।

12 सितम्बर, 1976 को चम्बल नदी के राजपुरा ज्वाला घाट पर कुछ स्त्रियां और बच्चे स्नान कर रहे थे । अचानक ही एक लड़का चिल्लाया कि एक छोटी लड़की पानी में बही जा रही है, जिसे सुनकर श्री सुरेंद्र कुमार तेजी से पहने हुए पानी में सिर के बल कूद पड़े । लड़की तीव्र गति से पानी मे बही जा रही थी, इसलिए वे तेजी से तैर कर उसके पास गये और उसे पकड़ लिया । बहाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए वह बुरी तरह थकने के बावजूद उस लड़की को किनारे पर ले आये ।

श्री सुरेन्द्र कुमार ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए, छोटी लड़की को डूबने से बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

18. श्री भगत सिंह,
पुत्र श्री उदय सिंह,
ग्राम तथा डाकखाना राजगढ़ छंदन,
(वाया) अमलोह,
जिला पटियाला,
पंजाब ।

1 मई, 1979 को, एक हेलीकाप्टर, जो हलवारा से सरसावा तक की उड़ान पर था, में अचानक खराबी हो गई और ग्राम मछरी कलां के नजदीक खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया । श्री भगत सिंह, जोकि घटना स्थल के नजदीक थे, ने देखा कि हैलीकाप्टर एक तरफ लुढ़का और उसमें आग लग गई है । वह तुरन्त सहायता के लिए चिल्लाये और ए० सी० गुणशेखरन, जिनके कपड़ों में आग लगी हुई थी और जो एयरक्राफ्ट से बाहर गिर गये थे, को बचाने के लिए वह जलते हुए हेलीकाप्टर की ओर भागे । इसी बीच श्री गुरचरन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने ए० सी० गुणशेखरन को बचाने में श्री भगत सिंह की सहायता की । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री भगत सिंह ने अपने हाथों से ए० सी० गुणशेखरन के कपड़ों मे लगी आग बुझा दी और ऐसा करते समय उनके हाथों में मामूली छाले पड़ गए । उन्होंने ए० सी० गुणशेखरन के जलते हुए कपड़े भी उतार दिए और उन्हें आरामदेह स्थिति में ले आये, उन्हें दूध पिलाया और इसके पश्चात श्री गुरचरन सिंह की मदद से चिकित्सा-सहायता के लिए उन्हें सिविल हस्पताल ले गए ।

ए० सी० गुणशेखरन की जान बचाने में श्री भगत सिंह ने अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

के० सी० मादप्पा,
राष्ट्रपति के सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि तथा सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1980

संकल्प

सं० 1-17/79-एफ० आर० वाई० (एफ० डी०) --भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई वन नीति के एकीकरण के मामले में अखिल भारतीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और सितम्बर, 1948 में हुए राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के 19 जून, 1950 के संकल्प सं० 6-20/49-एफ द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित वन मण्डल का तुरन्त पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । देश भर में प्राप्त हुए अनुभव के सामान्य पुल के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त यह मंडल वानिकी संबंधी मामलों में पूर्ण समन्वय प्राप्त करने और विशेषकर समेकित भू-उपयोग तथा वानिकी शिक्षा के मामले में पर्याप्त स्तर बनाए रखने में सहायता देता है । इसके अतिरिक्त यह देश के विभिन्न वन विभागों के उद्देश्यों तथा आदेशों में सामान्य समन्वय स्थापित करने के विषय में प्रोत्साहन देगा ।

2. औद्योगिक तथा कृषि विकास की नई आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वानिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है और मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण उपायों, उद्योगों के विकास, इमारती लकड़ी का मानकीकरण और प्राइवेट वनों के नियंत्रणों के लिए कानून आदि बनाने के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ठोस कार्य करने की आवश्यकता है।

3 वानिकी के क्षेत्र और वनों पर आश्रित उद्योगों के विकास में उचित समन्वय एवं एकीकरण सुनिश्चित करने और वन्य प्राणियों के संरक्षण पर बल देते हुए पर्यावरण संबंधी परिरक्षण के बढ़ते हुए कार्य को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित समझा गया है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण/वित्त/उद्योग मंत्रालय/योजना आयोग और भारतीय वन्य प्राणी मंडल के एक प्रतिनिधि को भी मण्डल के विचार-विमर्शों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए, ताकि यह निकाय इन संबंधित मंत्रालयों तथा भारतीय वन्य प्राणी मंडल के विचारों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें कर सके और इनके शीघ्र क्रियान्वयन के मामले में इन सबको अधिक से अधिक सहमति प्राप्त की जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय वन मंडल के गठन में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। अतः 19 जून, 1950 के संकल्प (जो समय-समय पर संशोधित होता रहा है) में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय वन मंडल का निम्न प्रकार संशोधित गठन करने का निर्णय किया गया है:—

1. केन्द्रीय कृषि मंत्री	अध्यक्ष
2. कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री/उप मंत्री (वन के प्रभारी)	उपाध्यक्ष
3. मंत्री, ग्राम पुनर्निर्माण	सदस्य
4. योजना आयोग के राज्य मंत्री/उप मंत्री	सदस्य
5 वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री/उप मंत्री	सदस्य
6. उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री/उप मंत्री	सदस्य
7. आंध्र प्रदेश के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
8. असम के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
9. बिहार के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
10. गुजरात के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
11. हरियाणा के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
12 हिमाचल प्रदेश के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
13. जम्मू व कश्मीर के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
14. कर्नाटक के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
15. केरल के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
16. मध्य प्रदेश के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
17. महाराष्ट्र के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
18. मणिपुर के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
19. मेघालय के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
20. नागालैंड के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
21. उड़ीसा के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
22. पंजाब के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
23. राजस्थान के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
24. सिक्किम के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
25. तमिलनाडु के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
26. त्रिपुरा के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
27. उत्तर प्रदेश के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
28. पश्चिम बंगाल के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
29. मुख्य आयुक्त अन्दमान तथा निकोबार	सदस्य
30. अरुणाचल प्रदेश के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
31. प्रशासक, चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य
32. प्रशासक, दादर तथा नगर हवेली	सदस्य
33. दिल्ली के उप प्रभारी कार्यकारी पार्षद	सदस्य
34 गोवा, दमन तथा दीव के वन प्रभारी मंत्री	सदस्य
35 प्रशासक, लक्षद्वीप	सदस्य
36 मुख्य सचिव, पांडिचेरी	सदस्य
37. मुख्य सचिव, मिजोरम	सदस्य
38. सदस्य, लोक सभा	सदस्य
39 सदस्य, लोक सभा	सदस्य
40 सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
41 वन्य प्राणी विशेषज्ञ	सदस्य
42 सचिव (कृषि तथा सहकारिता), कृषि मंत्रालय	सदस्य
43. वन महानिरीक्षक	सदस्य
44. अतिरिक्त वन महानिरीक्षक	सदस्य
45. संयुक्त सचिव (वन तथा वन्य प्राणि)	सदस्य
46 अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून	सदस्य
47. सचिव, केन्द्रीय वानिकी आयोग	सदस्य सचिव

राज्य सरकारों के महाधिवक्ता तथा सचिव संबंधित राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक में भाग ले सकते हैं।

सदस्यता की अवधि

(1) उन सदस्यों को छोड़कर जो पदेन नियुक्ति के कारण सदस्य हैं, सदस्यता की अवधि 4 वर्ष अथवा जिन संगठनों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका सदस्य बने रहने तक (इनमें जो भी पहले हो) होगी।

(2) बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित संसद सदस्य, 4 वर्ष के लिए अथवा संसद के भंग होने तक या उसकी सदस्यता समाप्त होने तक, बने रहेंगे।

(3) निम्नलिखित में से कोई भी घटना होने पर बोर्ड की सदस्यता समाप्त हो जाएगी:—

मृत्यु होने पर पद से त्याग पत्र देने पर, विक्षिप्त होने पर, दिवालिया होने पर अथवा चरित्र हीनता के मामलों में न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित होने पर।

(4) उपरोक्त कारणों में से किसी भी कारण से रिक्त हुए स्थान के लिए नियुक्ति अथवा नामजदगी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस प्रकार के सभी रिक्त स्थान 4 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए भरे जाएंगे।

कार्यकलाप

बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

1. राज्यों द्वारा अपने वनों में प्रबन्ध के मामले में प्रारम्भ की गई वन नीति का समन्वय और समाकलन करना।

2. वन संसाधनों और मृदा को प्रभावित करने वाले संरक्षण उपायों को अपनाना।

3. भूमि उपयोग और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण जिनमें वानिकी की अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, के लिए योजनाओं का समाकलन करना।

4 प्राइवेट वनों के प्रबन्ध हेतु विभिन्न राज्य के लिए आवश्यक कानून बनाना।

5. ऐसी अन्तर्राज्य नदी घाटियों में जिनसे केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, वनों का विकास और विनियम करना (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की मद संख्या 56 के अनुसार),

6. अधिकारियों के प्रशिक्षण के पर्याप्त स्तरों को बनाए रखना।

7. केन्द्रीय और राज्य संस्थानों में होने वाले वन अनुसंधान संबंधी कार्य का समन्वयन करना।

8 वानिकी से संबंधित कोई अन्य मामले, जिनका इस बोर्ड के उद्देश्यों से संबंध हो।

कार्य संचालन नियमावली

बोर्ड के कार्य संचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली को अपनाया जाएगा :—

1. बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

2. बोर्ड अधिकारियों के प्रशिक्षण, इमारती लकड़ी के मानकीकरण, बांस विकास तथा भूरक्षण सम्बन्धी उपायों व अन्तर्राज्यीय मामलों के बारे में विचार करने के लिए तकनीकी समिति नियुक्त कर सकता है।

3. बोर्ड के सदस्यों का मत जानने के लिए आवश्यक मामले बोर्ड के सदस्यों में परिचालित किए जाएंगे।

4 सचिव (कृषि तथा सहकारिता) कृषि मंत्रालय बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए तारीख समय तथा स्थान निश्चित करेगा। कार्य सूची कम से कम छह सप्ताह पहले परिचालित की जाएगी।

इस संकल्प से इस संबंध में पहले जारी किए गए सभी संकल्प रद्द हो जाते हैं।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, श्रम मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग, तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० डी० जयाल, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर 1979

संकल्प

सं० ई० आर० बी० 1/76/21/86—इस मंत्रालय के 14-9-1976 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक आशोधन करते हुए, भारत सरकार ने ए० आई० आर० एफ० के प्रमुख सलाहकार श्री टी० एन० बाजपेयी जो इस समय रेल कर्मचारी वर्गीकरण अधिकरण, 1976 में पुनर्नियुक्ति पर हैं, को स्व० श्री प्रिय गुप्त के स्थान पर अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का विनिश्चय किया है।

दिनांक 13 मार्च 1980

संकल्प

सं० हिन्दी/समिति/80/38/1—भारत सरकार ने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 9-12-1977 के संकल्प संख्या हिन्दी समिति/76/38/9 के अधीन गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति को तत्काल भंग करने तथा इस संकल्प के जारी होने की तारीख से उसका पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है। पुनर्गठित समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :—

सरकारी सदस्य

1. रेल मंत्री	अध्यक्ष
2. रेल राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
4. वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड	,,
5 यांत्रिक सदस्य, रेलवे बोर्ड	,,
6. यातायात सदस्य, रेलवे बोर्ड	,,
7. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य ,,
8 संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	,,
9. सलाहकार, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली	,,
10 निदेशक, राजभाषा; रेलवे बोर्ड	सदस्य सचिव

संसद सदस्य

11. श्री मुवर शर्मा, सदस्य, लोकसभा	सदस्य
12. श्री भगवान देव, सदस्य, लोकसभा	,,
13 श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य, राज्यसभा	संसदीय राज्यभाषा समिति के सदस्य। ,,
14. श्री कामेश्वर सिंह, संसद सदस्य, राज्यसभा	,,

गैर-सरकारी सदस्य

15. श्री अक्षय कुमार जैन, सी-47, गुलमोहर पार्क, नयी दिल्ली।

16. श्री वासुदेव सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ।

17 श्री राम नारायण, सम्पादक, "जयदेश" वाराणसी।

18 आचार्य रामबहोरी शुक्ल, 152ए/2, अल्लोपी बाग, इलाहाबाद-211006।

19. डा० बचन देव कुमार, प्रो० एवं विभागाध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय, रांची।

20. श्री एच० हनुमन्थप्पा, एडवोकेट तथा प्रेस संवाददाता, चित्रदुर्ग, कर्नाटक।

21. डा० विश्वामित्र मिश्र, कन्हैया लाल मौणिक लाल मुन्शी संस्थान, आगरा विश्वविद्यालय कैम्पस, आगरा।

22 श्री कन्हैया लाल नन्दन, सम्पादक, "पराग" 10-दरियागंज, दिल्ली।

23 श्री आनन्द जैन, सम्पादक "नवभारत टाइम्स" नई दिल्ली-2।

24 श्रीमती उमाराव, अमरावती टैगोर टाऊन, इलाहाबाद।

25. श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, 55- काकानगर, नई दिल्ली।

26. श्री जयवंशी झा शास्त्री, सी० 10/आई० रेलवे कालोनी, भोगल, खाजपत नगर, नयी दिल्ली।

27. श्री काशीनाथ उपाध्याय (बेधड़क बनारसी), सी-4/31, सराय गोवर्धन, वाराणसी।

28. श्री नन्द कुमार अवस्थी, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ।

29. डा० पारसनाथ तिवारी, निदेशक, पत्राचार पाठ्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 40 ए, मोती लाल नेहरू मार्ग, इलाहाबाद-2।

30 श्री वायमुरी राधाकृष्ण मूर्ति, सचिव, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास।

31. श्री युगल शर्मा 95-शाहजहां रोड, नई दिल्ली।

32. श्री जगदीश प्रसाद पीयूष, गौरी गंज, सुल्तानपुर।

33. मो० मुनीर खां, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बांद्रा (पूर्व) बम्बई।

34. श्री बालकवि बैरागी, मनासा (मध्य प्रदेश)।

35. श्री के० सी० अग्रवाल, सम्पादक, "विश्वमित्र" कलकत्ता।

36. डा० अनुज कुमार धान, कुलपति, नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग।

37 श्री भिखारी लाल चांडक, चन्द्र लोक, 35-माउन्ट रोड, मद्रास।

2. समिति के कार्य :

यह समिति केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों के अनुसार इस मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देगी।

3. कार्यकाल :

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः समिति के गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।

(ख) जो संसद सदस्य संसदीय राजभाषा के सदस्य की हैसियत से इस समिति के सदस्य हैं वे संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ग) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।

(घ) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

4. सामान्य :

(1) समिति अतिरिक्त सदस्यों को भी सहयोजित सदस्यों के रूप में सामाकित कर सकती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित कर सकती है अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकती है।

(2) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5 यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्ते :--

"गैर-सरकारी" सदस्य समिति तथा इसकी उपसमितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा समय समय पर निश्चित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। रेल यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी का रेलवे पास दिया जायेगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोकसभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

के० बालचन्द्रन, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं के पदेन संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th March 1980

No. 33-Pres/80.—The President is pleased to approve the award of SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons :—

1. Kumar Dharam Vir,
S/o Shri Lachman Singh,
Village Jatola,
P.O. Jhinjhouli,
Tehsil & District Sonepat,
Haryana.

On the 28th August, 1978 some students of the Government Middle School, Saidpur (Sonipat) assembled at the well situated in school compound for drinking water. One of the students aged 6 years who tried to get hold of the water bucket slipped and fell into the well. Seeing this Kumar Dharam Vir aged 12 years who was also present at the well immediately jumped into the well, caught hold of the student with one hand and with the other hand got hold of the rope tied with the water bucket but the rope did not bear their weight and gave way. Thereafter Kumar Dharam Vir continued to swim inside the well and succeeded in locating a hole in the wall of the well where he got a grip with the fingers of one hand while holding the boy with the other and shouted at the boys standing a top for lowering in another rope, with the help of which they were pulled out of the well.

Kumar Dharam Vir thus displayed rare courage, determination and promptitude in saving the boy from drowning under circumstances of very great danger to his own life.

2. Shri Bala Sundara Raju,
Door No. 4, Site No. 529,
IV Main Road, 18th Cross,
Vidhyaranyapuram,
Karnataka.

On being informed on the morning of 8th March 1977 that power supply had failed at the Ashoka Hotel, Bangalore, 16 persons consisting of employees of 'A' Station, K.E.B., Bangalore and maintenance staff of the hotel entered the switchgear room for checking the fault. The K.E.B. Supervisor after satisfying himself that the fuses were intact closed the switch when there was a big explosition which damaged the oil container of the switch resulting in the spraying of burning oil on the persons inside the switchgear room and their clothes caught fire. There was heavy smoke inside the room as all the windows and the main door of the room were closed. The only exit from the room was a small door interlinking the adjoining room. The persons inside the room received severe burns. Although the clothes of Shri Bala Sundara Raju were in flames he kept on trying to pull out those trapped in the switchgear room and succeeded in pulling out five persons. He also assisted in the removal of other trapped persons and insisted on their being given first aid, before he agreed to his removal to hospital where he succumbed to his burn injuries. Fourteen out of the 16 trapped persons died in this accident.

Shri Bala Sundara Raju thus displayed exemplary courage and determination in extricating five victims at the cost of his own life.

3. 4159474 Lance Naik Suraj Bhan, (Posthumous)
Village & P.O. Orawar,
2District Mainpuri,
Uttar Pradesh.

On the 11th September 1978 when the Yamuna river was in spate Lance Naik Suraj Bhan who was on annual leave at his village situated on the bank of the river saved three children of the village from drowning. Later in the day, he saw somebody struggling for life in the swollen river and immediately jumped into the river and inspite of the strong currents swam upto the drowning person. The drowning man clung to Lance Naik Suraj Bhan which made the rescue difficult and both of them were carried away by the strong current.

Lance Naik Suraj Bhan displayed exemplary courage in his attempt to save a fellow human being at the cost of his own life.

No. 34-Pres/80.—The President is pleased to approve the award of "UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK" to the undermentioned persons :—

1 Shri Kumarasamy Kaliamurthy,
108, West Boulewaid Back side,
S.S. Jothi Nilayam, Kumara Guru Pollam
Pondicherry.

On the 2nd October 1978 many people after participating in the Gandhi Jayanti Celebration at the Beach Road, Pondicherry went to the seashore for a dip. There some boys

noticed a person drowning in the sea at a distance from the shore. The onlookers raised a hue and cry. Two of them, Shri Kumarasamy Kalimurthy and Shri S. Sholarayan took the courage to go into the rough sea in a bid to rescue the drowning person. Undaunted by the heavy odds, Shri Kalimurthy succeeded in bringing to ashore the drowning person, where first-aid was given to him. At this stage it was noticed that Shri Sholarayan, who had also entered the sea in the same rescue bid, had not returned but was himself drowning. Shri Kalimurthy, who was already exhausted, nevertheless jumped into the fought sea once again and managed to bring Shri Sholarayan also ashore. Then, unmindful of his own fatigue he immediately contacted the General Hospital on phone from the nearby Customs Office and ensured necessary medical assistance to Sholarayan who was lying unconscious. Shri Sholarayan was discharged from the hospital the next day.

Shri Kumarasamy Kalimurthy thus displayed rare courage and determination in saving two persons from drowning under circumstances of great danger to his own life.

2. Shri Gopala Pillai Sasikumar, (Posthumous)
Parameswara Vilasom, AP 5/107,
Attinkuzhi, Attipra Village,
Trivandrum District,
Kerala.

During the first week of November 1978 most of the districts in Kerala were affected by unusual floods. Attipra Village in Trivandrum District was one of the worst affected areas. On the 4th November 1978, Shri Gopala Pillai Sasikumar, a resident of that village, swam in the flood waters to the affected houses and shifted the families and their belongings to safe places, with the assistance of his neighbours. While engaged in the operation, he saw a person, Shri Panachamoottil Maniyan, struggling for life in the strong currents of the flood waters. Shri Sasikumar again swam and succeeded in bringing Shri Maniyan to a safety, but he himself was carried away into deep waters by the strong current and got entrapped between a post and its wire where he was drowned.

Shri Gopala Pillai Sasikumar thus displayed exemplary courage and promptitude in saving the life of a person at the cost of his own life.

3. Shri Om Prakash Bhati, (Posthumous)
Mohalla Shahpur Maliyan,
In front of Hathikhi,
Bewar,
Rajasthan.

On the 5th August, 1978 Sarvashri Hemant Kumar and Om Prakash Bhati had gone with a picnic party and were taking bath at the Makrera tank. Unaware of the depth of the water, Shri Hemant Kumar went in to deeper area and was drowning. Seeing this Shri Om Prakash Bhati rushed towards him for rescue but Shri Hemant Kumar gripped him too tightly with the result that both of them started sinking into the water as they did not know swimming. Some persons who saw the incident brought them to shore and took them to the hospital. However, First-aid was of no avail and they were declared dead by the hospital authorities.

Shri Om Prakash Bhati displayed courage and promptitude in trying to save the life of his friend from drowning at the cost of his own life.

4. Shri Lakpa, (Posthumous)
Village Pukshila,
District Salari,
Nepal.

On the 24th February 1979 Shri Lakpa, S/o Shri Lamajor, a labourer, along with 9 others was deployed for collection of sand from the bed of the Teesta river at Chungthang. Sand was being collected from the far bank and brought to the home bank. A low-level foot bridge connecting both the banks of the river was being used by the labourers. Shrimati Lamu, a woman labourer while crossing the bridge slipped, fell down in the river and was immediately carried away by the swift current. Shri Lakpa immediately jumped into the river and in his attempt to rescue the co-worker he too was carried away by the swift current of the river. His dead body was found down-stream, although the body of Shrimati Lamu remained untraced.

Shri Lakpa thus displayed exemplary courage and promptitude in making an attempt to save a life from drowning at the cost of his own life.

No. 35-Pres/80.—The President is pleased to approve the award of JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons :—

1. Shri Bhanwar Lal Saini,
C/o Shri Gopilal Sharma,
Barbara Para, Kaithoonipole,
Kota,
Rajasthan.

On the 19th June 1978 a girl aged 12, was going to her father's shop from her residence at Dadabari. On her way she sat over the wall of the Kishorepura Canal bridge and while looking at the water she fell into the canal. Shri Bhanwar Lal Saini who was passing through that way immediately jumped into the canal, swam towards the girl and with great difficulty brought her near to the cement wall of the canal and continued to swim by its side till he managed to get a grip on a portion of the cracked wall and shouted for help. On hearing this some people collected there and threw down a rope, with the help of which both of them were pulled out.

Shri Bhagwan Lal Saini displayed conspicuous courage and promptitude in saving the life of the girl indisregard to the great risk to his own life.

2. Shri Sanjeev Singh Choudhary,
C/o Shri Bhanwar Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Anti Corruption Department,
Ajmer,
Rajasthan.

On the 18th July 1975 lakhs of pilgrims were camping in the Ajmer city for the URS fair and there was chaos due to very heavy rains. On that day, at about 10 A.M. Shri Sanjeev Singh Chaudhary, who was studying at his house, heard a hue and cry outside. He came out of his house and saw that water was flooding all the family quarters. Within a short period the water level rose from 1.75 to 2.50 metres and there was no time to get out of the area. Children started crying as their fathers were out on government duty and their mothers were so bewildered that they could not even shout for help. Shri Sanjeev Singh Choudhary jumped into the fast running stream of water, swam from one quarter to another and saved three families, consisting of three ladies and nine children.

Shri Sanjeev Singh Choudhary displayed courage and promptitude in saving 12 lives from drowning disregarding the danger to his own life.

3. Shri Benny Mathew,
S/o Shri Ouseph Mathew,
Parathodupurampokkil,
Kizhapiayar, Bharananganam,
Palai,
Kottayam District,
Kerala.

On the 18th December 1978 at about 2 P.M. two women named Shrimati Rajamma and Shrimati Bhargavi Purushothaman Nair had gone for a bath in the Meenachil river. While taking a dip in the water, Shrimati Rajamma slipped into the deep water. The other woman extended her hand to rescue her but she too fell in and both of them began to sink as they did not know swimming. Seeing this Sulochana daughter of Shrimati Bhargavi cried for help. Shri Benny Mathew, who was also taking bath in that river at a little distance away upstream, heard her cries and immediately ran to the spot. He jumped into the deep water and rescued both the women.

Shri Benny Mathew thus displayed extraordinary courage and promptitude in saving the lives of two women from drowning disregarding the risk to his own life.

4. Shri James Joseph,
Eruppakettu House, Koratty,
Kuruvamoozhi P.O.,
Kottayam District,
Kerala.

On the 26th June 1978, one Shrimati Gopalan Lakshmi was swept away by the flood in the Manimala river while attempting to get back a cloth carried away by the heavy current in the river. Shri James Joseph who saw this incident jumped into the river and rescued her.

Shri James Joseph displayed courage and promptitude in saving the life of Shrimati Lakshmi in disregard of the risk to his own life.

5. Shri Chandrashekhar,
Teacher,
Government Teachers Training Institute,
House No. 3-4-67,
Near Govt. Middle Kannada Primary School,
Yadgiri, Gulbarga District,
Karnataka.

6. Shri Jayawanth,
C/o Shrimati Saroja, Staff Nurse,
Nurses Quarters, Near Civil Hospital,
Gulbarga,
Karnataka.

On the 7th January 1979, Shri Nagabhushan, a teacher trainee in the Teachers' Training Institute, Yadgiri, went along with other trainees on an excursion arranged by the Training Institute to the Hattikuni Dam site about 12 Kms. from Yadgiri. The teacher trainee, including Shri Nagabhushan, went for swimming in the reservoir. Shri Nagabhushan was accidentally caught in a nylon fisherman's net spread in the reservoir by fishermen and found himself helpless and shouted for help. Shri Chandrashekhar and Shri Jayawanth who were also teachers in that Training Institute, heard the cries, and immediately jumped into the reservoir and brought back Shri Nagabhushan in an unconscious state. They rendered first-aid and thereafter removed him to the hospital from where he was discharged after a couple of days.

Sarvashri Chandrashekhar and Jayawanth displayed courage and promptitude in saving Shri Nagabhushan from drowning in disregard of the risk to their own lives.

7. Shri Eravakulangara Krishnankutty,
Eravakulangara, Kumbalangade,
P.O. Kanjirakode,
Via Wadakkanchery,
Talappilly Taluk,
Trichur District,
Kerala.

On the 31st March 1979, a boy aged 8 accidentally fell into a deep and narrow well in his residential compound in Talappilly Village. The mother of the child, Shrimati Sumathy, raised an alarm and people from the neighbourhood gathered round the well. While everybody was looking on helplessly Shri Eravakulangara Krishnankutty jumped into the well and rescued the drowning child.

Shri Eravakulangara Krishnankutty thus displayed courage and promptitude in saving the child from drowning in disregard of the risk to his own life.

8. Shrimati Eringapulli Kunjayyappan Vallikutty,
D/o Shri Eringapulli Kunjayyappan,
Pariyaram Village,
Mukundapuram Taluk,
Trichur District,
Kerala.

On the 13th March 1979, a 3 years old girl who was playing with another girl accidentally fell into a well situated in the compound of her house. On hearing the cry of the child's playmate for help, Shrimati Eringapulli Kunjayyappan Vallikutty, who was working in the nearby field, rushed to the spot. Finding the child struggling for life, she jumped into the well, caught hold of the child and held on to the ring of the well until other rushed to the secene and lifted them by means of a rope. The child was unhurt but Shrimati Vallikutty sustained minor injuries.

Shrimati Eringapulli Kunjayyappan Vallikutty thus displayed conspicuous courage and promptitude in saving the child from drowning disregarding the risk to her own life.

9. Master Katturajan,
Paliyankudilil,
P.O. Painavu,
Idukki District,
Kerala.

On the 27th March 1978, four children named Lakshmi, Chandran, Pavanamma and Muthammal went into the forest near the Idukki Dam for collecting firewood. Lekshmi, Pavanamma and Muthammal went into the water to get hold of a floating wooden barge. As they were not good swimmers, they soon got into trouble and began struggling for life, seeing which Chandran, who was on the bank, cried aloud. Master Katturajan (13 years) who was collecting firewood in the nearby woods, heard the cry and rushed to the place. He immediately jumped into the water and managed to rescue Pavanamma (14 years) and Muthammal (12 years). The third child Lekshmi could not be saved and was drowned. Shri Katturajan thus displayed courage and promptitude in saving two children from drowning in disregard of the risk to his own life.

10. Shri Kunhiraman Nair Sankara Pillai,
Superintendent,
State Ware House,
Manjeri,
Kerala.

On the 3rd August 1978, Shri Kunhiraman Nair Sankara Pillai had gone to Thirunavaya for performing some religious rites. After performing the rituals he was about to go to the temple when he heard some cries from the nearby river Bharathapuzha. He rushed to the spot and saw two girls crying for help. They were struggling for life and were gradually sinking in the river. He jumped into the river, caught hold of both the girls and brought them back to the river bank in an unconscious state. Shri Pillai then saw another body also floating down the river. Although he was thoroughly exhausted, he again jumped into the river and brought back the body to the river bank, using all his strength. Thereafter he rendered first-aid to the girl immediately. In the meantime the other two girls, who had regained consciousness, informed Shri Pillai that there was a fourth girls also in the river. He saw a dark spot in the river and thinking that it was the body of the fourth girls, he again plunged into the water, though exhausted, but found that it was only a dry leaf. He returned to the river bank, ran upto a wharf where sand was being loaded into a lorry and with the help of those workers, took the unconscious girls to the nearest hospital in a taxi but unfortunately the girl died.

Shri Kunhiraman Nair Sankara Pillai displayed unique courage and promptitude in saving the lives of two girls in disregard of the risk involved to his own life repeatedly.

11. Shri Sarda Amma Ravindran Nair,
House No. 1/133,
One Lakh Housing Colony,
Manjanikara,
Omalloor P.O.,
Via Pathanamthitta,
Quilon District,
Kerala.

On the 6th November 1978 while trying to cross a flooded road through the Omalloor Ela near the Omalloor Kurisumoodu, four persons were caught in the swift current and carried away by flood waters. As the current was very swift, nobody from the crowd who had seen the incident would venture to attempt rescuing the persons. At that time Shri Sarda Amma Ravindran Nair jumped into the water, swam against the current and brought ashore two of the persons by pushing them. He again jumped into the water and saved the third person also from drowning. By the time Shri Nair became very weak and the fourth person could not be rescued.

Shri Sarda Amma Ravindran Nair displayed courage and promptitude in saving the lives of three persons in disregard of the risk to his own life repeatedly.

12. Shri Sooriyakandi Rajan,
Peetoli House,
Puthiyangadi,
P.O. West Hill, Elathur Village,
Kozhikode District,
Kerala.

On the 9th October 1978 Kumari Raji (18 years) accidentally fell into the water while taking bath in a tank "Necholi Kulam" in Puthur Desam of Elathur Village. Finding the girl struggling for life Shri Sooriyakandi Rajan (13 years) jumped into the water and brought the girl ashore in an unconscious condition. She regained consciousness afterwards.

Shri Sooriyakandi Rajan thus displayed exemplary courage and promptitude in saving the girl from drowning in disregard of the risk involved to his own life.

13. Shri Sitaram Vithal Savant,
Building No. 79, Room No. 2707,
Nehru Nagar, Kurla,
Bombay,
Maharashtra.

On the 18th May 1977 a ferry boat carrying about 45 persons was proceeding from Madh Jetty Point to the Versova Jetty Point. When the boat was about 6 metres away from the Versova Jetty Point, the navigator of the boat took a sharp turn to avoid collision with the fishermen's boats anchored nearby with the result that 15 of the passengers fell into the sea. Shri Sitaram Vithal Savant who was standing near the engine of the boat, noticed that many of his office colleagues were getting drowned and immediately jumped into the water to save them. He managed to push or bring ten persons nearer to the boat one by one and they were hauled into the boat by other passengers. The remaining three persons caught the ferry boat and got into it.

Shri Sitaram Vithal Savant displayed high sense of duty, presence of mind and conspicuous courage in saving the lives of 10 persons from drowning.

14. Shri Pradeep Kumar Mehta,
Sector 8,
Qr. No. 1135, R.K. Puram,
New Delhi.

On the 14th August 1978 there was the heaviest down pour of the season and on that day a child named Anjali (4½ years) while crossing the overflowing Nullah in Sector 8 of R.K. Puram was swept away by the currents of the water towards Sector 9, seeing which the ladies and children around shouted. Shri Pradeep Kumar Mehta, on hearing the cries, rushed towards the Nullah to rescue the child who had in the meantime been swept away by the swirling currents beyond the first bridge. He ran downstream to the second bridge near Delhi Police Records Office and jumped into the water and waited for a few seconds for the child to reach him. The child had drifted about 150 metres downstream and was almost drowned. She could be spotted by her floating hair only. Shri Mehta caught hold of the child by her hair and brought her out of the Nullah.

Shri Pradeep Kumar Mehta displayed great courage initiative and promptitude in saving the child from drowning in disregard of the risk to his own life.

15. Shri Alampammam Venkateswar Viswanathan,
140 East, Class IX, West Land,
Khamaria, Jabalpur,
Madhya Pradesh.

16. Shri Chandradeo Singh,
Village & P. O. Sultanpur,
Via Manihari,
District Ballia,
Uttar Pradesh.

On the 6th July, 1976 an explosion occurred in building No. 129 of Filling Unit 9 at Ordnance Factory, Khamaria. Within minutes of the explosion the whole building had collapsed and the victims were trapped under the debris. Fitted fuzes were strewn around and there were sporadic minor explosions all over the place. Shri Alampammam Venkateswar Viswanathan, who was in the vicinity, was the first person to enter the area of the devastation shouting for help to rescue the trapped men. He gave a lead to others in the rescue operations. Shri Chandra Deo Singh tried to go inside the building thrice and was prevented by other people as there were still sporadic explosions. But he could not restrain himself and reached the site almost at the place where Shri Valecha, Supervisor, was buried under the debris. He along with Shri Viswanathan helped in extricating Shri Valecha and others entrapped under the debris of the explosion. Shri Chandra Deo Singh also started removing the portion of brick walls and roof fallen over the victims. Due to his initiative he was able to get the other people also to join the rescue operations.

Shri Alampammam Venkateswar Viswanathan and Shri Chandra Deo Singh displayed courage and promptitude in rescuing persons trapped under debris in disregard of the risk involved to their own lives.

17. Shri Surendra Kumar,
S/o Shri Panna Lal,
Village and P.O. Kunadi,
Kota,
Rajasthan.

On the 12th September, 1976 some women and children were taking bath at the Ravla Zanana Ghat of the Chambal river. All of a sudden a lad shouted that a little girl was being swept away, hearing which Shri Surendra Kumar plunged head-long into the rushing water. As the little girls was being carried away at great speed, he rapidly swam to her and grabbed her. Struggling against the current he brought her to the bank in a near state of exhaustion.

Shri Surendra Kumar displayed courage and promptitude in saving the little girl from drowning in disregard of the risk to his own life.

18. Shri Bhagat Singh,
S/o Shri Udai Singh,
Village & P.O. Rajgarh Chandan,
Via Amloh,
District Patiala,
Punjab.

On the 1st May, 1979, a helicopter on flight from Halwara to Sarsawa had an emergency and crashed in the fields near Village Machhri Kalan. Shri Bhagat Singh who was near the site of accident saw that the helicopter had rolled over to one side and burst into flames. He immediately shouted for help and ran towards the burning helicopter to save AC Gunasekharan who was thrown out of the aircraft with his clothes on fire. In the meantime Shri Gurcharan Singh reached the spot and assisted Shri Bhagat Singh in rescuing AC Gunasekharan Shri Bhagat Singh in disregard of his own personal safety, extinguished the fire from the clothes of AC Gunasekharan with his bare hands and in the process sustained minor burns. He also removed the burning clothes of AC Gunasekharan and made him comfortable, fed him with milk and thereafter took him to the civil hospital for medical aid with the help of Shri Gurcharan Singh.

Shri Bhagat Singh thus displayed conspicuous courage and promptitude in saving the life of AC Gunasekharan.

K. C. MADAPPA,
Secretary to the President

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 15th March 1980

RESOLUTION

No. 1-17/79-FRY(FD).—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect the Central Board of Forestry with a view to ensuring an All-India angle in the integration of forest policy pursued by the various States,

and in the light of the recommendations made by the Conference of Ministers of States held in September, 1948, the Government of India constituted a Central Board of Forestry under the Chairmanship of the Union Minister of Agriculture vide Ministry of Agriculture Resolution No. 6-20/49-F dated the 19th June, 1950. Quite apart from acting as a common pool of experience gained through-out the Union, the Board serves to secure close coordination in the forestry matters, and more specially in integrated land use and help in maintaining adequate standards in forestry education. In addition, it will stand in good stead in forging a common bond between the aims and ideals of inspiring the various forest departments of the Union.

2. With the urge for accelerated industrial and agricultural development, forestry has come to assume a vital role calling for concerted action in such inter-State matters as soil conservation and flood control measures, development of industries and standardisation of timbers, evolution of forest management and legislation for the control of private forests.

3. In order to ensure proper coordination and integration of the development of the forestry sector including the forest-based industries, as also keeping in view their increasing role in the preservation of environment with stress on protection of wildlife it has been considered desirable that the Union Ministries of Rural Reconstruction/Finance/Industry/Planning Commission and a representative of the Indian Board for Wild Life are also actively associated with the deliberations of the Board, so that the recommendations of this body are made after taking into consideration the views of these concerned Ministries and Board as well, thus representing the largest measure of agreement resulting in their expeditious implementation. In view of this, it has become necessary to revise the composition of the Central Board of Forestry. Accordingly in partial modification of the Resolution dated 19th June, 1950 as amended from time to time, it has been decided that the revised composition of the Central Board of Forestry will be as follows :—

Chairman

1. Union Minister of Agriculture.

Vice-Chairman

2. Union Minister of State/Deputy Minister (Incharge of Forestry) in the Ministry of Agriculture.

Members

3. Minister of Rural Reconstruction.
4. Union Minister of State/Deputy Minister for Planning Commission.
5. Union Minister of State/Deputy Minister for Finance.
6. Union Minister of State/Deputy Minister, Ministry of Industry.
7. Minister-in-charge of Forests, Andhra Pradesh.
8. Minister-in-charge of Forests, Assam.
9. Minister-in-charge of Forests, Bihar.
10. Minister-in-charge of Forests, Gujarat.
11. Minister-in-charge of Forests, Haryana.
12. Minister-in charge of Forests, Himachal Pradesh.
13. Minister-in-charge of Forests, Jammu & Kashmir.
14. Minister-in-charge of Forests, Karnataka.
15. Minister-in-charge of Forests, Kerala.
16. Minister-in-charge of Forests, Madhya Pradesh.
17. Minister-in-charge of Forests, Maharashtra.
18. Minister-in-charge of Forests, Manipur.
19. Minister-in-charge of Forests, Meghalaya.
20. Minister-in-charge of Forests, Nagaland.
21. Minister-in-charge of Forests, Orissa.
22. Minister-in-charge of Forests, Punjab.
23. Minister-in-charge of Forests, Rajasthan.
24. Minister-in-charge of Forests, Sikkim.
25. Minister-in-charge of Forests, Tamil Nadu.
26. Minister-in-charge of Forests, Tripura.
27. Minister-in-charge of Forests, Uttar Pradesh.
28. Minister-in-charge of Forests, West Bengal.
29. Chief Commissioner, Andaman & Nicobar.
30. Minister-in-charge of Forests, Arunachal Pradesh.
31. Administrator, Chandigarh Administration.
32. Administrator, Dadra and Nagar Haveli.
33. Executive Councillor, Incharge of Forests, Delhi.
34. Minister-in-charge of Forests, Goa, Daman & Diu.
35. Administrator, Lakshadweep.
36. Chief Secretary, Pondicherry.
37. Chief Secretary, Mizoram.
38. Member, Lok Sabha.
39. Member, Lok Sabha.
40. Member, Rajya Sabha.
41. Wild Life Expert.
42. Secretary (Agriculture & Cooperation) Ministry of Agriculture.
43. Inspector-General of Forests.
44. Additional Inspector General of Forests.
45. Joint Secretary (Forests & Wild Life).
46. President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.

Member Secretary

47. Secretary, Central Forestry Commission.

Chief Conservators of Forests and Secretaries to State Governments may attend alongwith members of the Board representing the States concerned.

"DURATION OF MEMBERSHIP"

(i) Members other than those who are members by virtue of office or appointment held by them shall hold office for a period of 4 years or till they cease to be members of the organisation which they represent, whichever is earlier.

(ii) A member of Parliament, nominated as a member of the Board will continue for 4 years unless he ceases to be such on the dissolution of the Parliament, or on his ceasing to be a member.

(iii) A member shall cease to hold office on the happening of any of the following events :—

If he shall die, resign, become of unsound mind, become insolvent or be convicted by a court of law for a criminal offence involving turpitude.

(iv) Any vacancy in the membership caused by any of the reasons mentioned above shall be filled by the appointment or nomination by the authority entitled to make such appointment or nomination. All such vacancies shall be filled for the full period of the tenure period of 4 years.

FUNCTIONS :

The functions of the Board will be as follows :—

1. Coordination and integration of forest policy pursued by States in the management of their forests.
2. The adoption of conservation measures affecting forest resources and soil.
3. Integration of plans for land use and national reconstruction in which forestry has to play a progressively important role.
4. Promotion of legislation considered necessary for various States for the management of private forests.
5. Regulation and development of forests in inter-state river valley which are the concern of the Central Government (vide item No. 56 in the list I of the Seventh Schedule of the Constitution of India).
6. Maintenance of adequate standards of the training of officers.

7. Coordination of Forest research conducted in Central and State Institute.

8. Any other matters affecting forestry which are governed and relevant to the objective of this Board.

RULES OF BUSINESS :

The business of the Board will be governed by the following rules :—

1. The Board shall meet at least once in a year.

2. The Board may appoint technical committees to consider such inter-state matters as training of officers, standardization of timbers, flood control, anticrosion measures, etc.

3. Matters of urgent nature may be circulated to the members of the Board to elicit opinion.

4. The Secretary (Agriculture & Cooperation), Ministry of Agriculture will fix the date, time and place for every meeting of the Board. The agenda will be circulated at least 6 weeks in advance.

This supersedes all the Resolutions issued earlier in this regard.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned including President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Labour, Department of Social Welfare and Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. D. JAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 24th October 1979

RESOLUTIONS

No. FRBI/76/21/86.—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated 14-9-1976, the Government of India have decided to appoint Shri T. N. Bajpai, Principal Adviser of AIRF, presently on re-employment on the Railway Workers Classification Tribunal, 1976, as Member of the Tribunal replacing late Shri Priya Gupta.

The 13th March 1980

No. Hindi/Samiti/80/38/1.—The Govt. of India have decided to dissolve the Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under Ministry of Railways Resolution No Hindi/Samiti/76/38/9 dated 9-12-1977 with immediate effect and to reconstitute the same with effect from the date of issue of this resolution. The composition of the reconstituted Samiti will be as given here under :—

COMPOSITION

Chairman

1. Minister of Railways.

Vice Chairman

2. Minister of State for Railways.

Members

3. Chairman, Railway Board

4 Financial Commissioner (Railways)

5. Member (Mech.) Railway Board.

6. Member (Transportation) Railway Board

7. Secretary Official Language Deptt & Hindi Adviser to the Govt of India

8 Joint Secretary Official Language Deptt. Ministry of Home Affairs

9 Adviser Scientific and Technical Terminology New Delhi.

Member Secretary

10 Director (OL) Railway Board

MEMBERS OF PARLIAMENT :

11. Shri Munder Sharma, Member, Lok Sabha, Member.

12. Shri Bhagwan Dev, Member, Lok Sabha, Member.

13. Shri Yogendra Sharma, Member, Rajya Sabha, Members of Parliamentary Committee on Official Languages.

14 Shri Kameshwar Singh, Member, Rajya Sabha, Members of Parliamentary Committee on Official Languages.

NON-OFFICIAL MEMBERS :

15. Shri Akshyaya Kumar Jain,
C-47, Gulmohar Park, New Delhi.

16. Shri Vasudev Singh,
Ex, Speaker, U.P. Legislative Assembly,
Lucknow.

17. Shri Ram Narin,
Editor 'Jaldesh' Varanasi.

18. Acharya Ram Bahori Shukla,
152 A/2, Alopi Bagh,
Allahabad-211006.

19. Dr. Bachan Dev Kumar,
Professor and Head of Deptt.,
Ranchi University,
Ranchi.

20. Shri H. Hanumanthappa,
Advocate and Press Correspondent,
Chitradurga, Karnataka.

21. Dr. Vidya Niwas Mishra,
K. M. Munshi Sansthan,
Agra University Campus,
Agra.

22. Shri Kanhaiya Lal Nandan,
Editor 'Parag',
10, Daryaganj,
Delhi.

23. Shri Anand Jain,
Editor, Nav Bharat Times,
New Delhi.

24. Smt. Uma Rao,
Amaravati Tagore Town,
Allahabad.

25. Shri Jagdish Prashad Chaturvedi,
55, Kaka Nagar,
New Delhi.

26. Shri Jaivanshi Jha Shastri,
C-10/I Railway Colony,
Bhogal, Lajpat Nagar, New Delhi.

27. Shri Kashi Nath Upadhyaya,
'Bedharak Banarasi',
C-4/31, Sarai Govardhan, Varanashi.

28. Shri Nand Kumar Awasthi,
Bhuvan Vani Trust,
Lucknow.

29 Dr. Paras Nath Tiwari,
Director, Correspondence Courses,
Allahabad-2

30 Shri Vavnuri Radha Krishna Murti,
Secretary Dakshin Bharat Hindi
Prachar Sabha, Madras.

31. Shri Yugal Sharma,
95, Shahjahan Road,
New Delhi.

32 Shri Jagdish Prashad 'Peeyush'
Gaurigani Sultanpur.

33 Mohd Munir Khan,
Housing Board Colony
Bandra (East) Bombay

34 Shri Balkavi Vairagi,
Manasa, Madhya Pradesh

35. Shri K. C. Agrawal,
Editor 'Vishwamitra'
Calcutta.

36. Dr. Anuj Kumar Dhan,
Vice Chancellor,
North Eastern Hill University,
Shillong.

37. Shri Girdhari Lal Chanda,
Chandra Lok,
35, Mount Road,
Madras.

II. FUNCTIONS :

The functions of the Samiti will be to advise Railway Ministry on matters relating to progressive use of Hindi for official purposes in accordance with the policy laid down by the Central Hindi Committee and Department of Official Language.

III. TENURE

The term of the Samiti will normally be three years from the date of its composition provided that :—

(a) A member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a member of Parliament.

(b) The Members of Parliament who are members of this Samiti by virtue of their being members of Parliamentary Committee on Official Language will cease to be the members of this Samiti as soon as they cease to be the Members of the said Parliamentary Committee.

(c) Ex, Officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Samiti.

(d) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residual term of three years.

IV. GENERAL :

(i) The Samiti may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint Sub Committees as may be considered necessary.

(ii) The headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES :

The non official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the Sub Committees of the Samiti at the rates fixed by he Government of India (Ministry of Railways) from time to time. For rail journeys, First Class Railway passes will be issued.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts, and Ministries and Departments of Govt. of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. BALACHANDRAN, Secy., Rly Board
& ex. officio, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980